

क्रमांक एफ 73-20/20-3/2008

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004
भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय — अशासकीय शिक्षण संस्था निम्न ज्योति हायर सेकेण्डरी स्कूल, बीना जिला सागर, म0प्र0 को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विषयाकृत संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :—

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय—समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय—समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Dr. Pheresa
Secretary
Nirmal Jyoti Society
Bina 470 113
Sagar Dist. M.P.

Sp. Tuna
Principal
Nirmal Jyoti Hr Sec. School
(a unit of Nirmal Jyoti Society)
Bina, M.P. 470113

(एम.एस.टाप्ट.)
इस दस्तावेज़ का उत्तम लक्ष्य उपरांत अनुसार दिया जाना है।

पृष्ठा क्रमांक एफ 73-20 / 20-3 / 2008

मापाल, दिनांक 28/6/08

प्रतिलिपि -


1- ✓ सचिव (संबधित संस्था / समिति) अशासकीय शिक्षण संस्था निमंल ज्योति हायर सेकेण्डरी स्कूल, बीना जिला सागर, म0प्र0 की ओर अग्रेषित। अशासकीय शिक्षण संस्था नर्मल ज्योति हायर सेकेण्डरी स्कूल, बीना जिला सागर, म0प्र0 को सी.डी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता / मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -


- (1) संस्था सी.डी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा खमय-खमय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।


2- आयुवत लोक शिक्षण म.प., भोपाल ।

3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर, म0प्र0।

4- ऑर्डर बुक ।


अबर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


Secretary
Nirmal Jyoti Society
Bina 470 113
Sagar Dist. M.P.


Principal
Nirmal Jyoti Hr Sec. School
(a unit of Nirmal Jyoti Society)
Bina, M.P. 470113



आवेदन नं. 112243

स्कूल: NIRMAL JYOTI HR SEC BINA

प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

कर्तवीयता जिला शिक्षा अधिकारी (सागर), मध्यप्रदेश

मान्यता का प्रकार - नवीन मान्यता

मान्यता दिनांक - 01/04/2021

सत्र - 2020-21

प्रति,

प्रबंधक (NIRMAL JYOTI HR SEC BINA)

विषय :

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 18/01/2021 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - NIRMAL JYOTI HR SEC BINA डाइस कोड - 23110418002 स्कूल क्रमांक - PS 112243 को कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2024 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंद्हता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपर्योगी का पालन करेगा।

• स्कूल, अपने पहाड़ी की सीमा के विपरीत समूह तथा कमज़ोर छर्टों को शालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित शालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पद्धति के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (प्री-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम कीधारा 12 की उपचारा (1) के छंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए सार्थक होगी।

• पैदा 3 में लिंगिट शालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से ईकांश देता उपलब्ध कराना होगा।

• सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन कीस के संबंध नहीं करेगा तथा शालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी अन्यान्य प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।

• स्कूल किसी भी शालक को प्रवेश देने से ईकांश नहीं करेगा -

- (क) आयु के सबूत के आभाव में;
- (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चायत ऐसा प्रवेश घाहा गया है;
- (ग) धर्म, जाति या मूलधंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

• स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

- किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी शालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- किसी शालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक शालक को कोई बोझी बोझी परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी;
- नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक शालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
- अधिनियम के उपबंधी के अनुसार निःशुल्क विद्यारथ आवश्यकता वाले शालकों को समाहित किया जाएगा;
- अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जी शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आहता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहता प्राप्त करनी होगी।

Signature valid

Digital signature : Ajay
Singh Chakure
Date: 01/04/2021
20:50:30
Reason: Digitally Signed
Location: NIC

- शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरहष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
- प्रायवैट ट्रैकिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगी/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाश्चय्य का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में वर्चुअल का नामांकन किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनीरहष्ट स्कूल के मालक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

Dr. Shereen
Secretary
Nirmal Jyoti Society
Bina 470 113
Sagar Dist. M.P.

Smt. Juvena
Principal
Nirmal Jyoti Hr. Sec. School,
(a unit of Nirmal Jyoti Society)
Bina, M.P. 470113